न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, नवादा
उपस्थित– उमेश कुमार, ए0एस0जे0–तृतीय, नवादा
अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या – 875/26
82/26

राहुल कुमर — आवेदक

बनाम

बिहार राज्य — अभियोजन

पकरीबरावां थाना कांड संख्या– 462/2025
अंतर्गत धारा – 310(2), 311, 317(3) बी0एन0एस0
1. आवेदक की ओर से – विद्वान अधिवक्ता
11.05.2026 2. अभियोजन की ओर से – विद्वान अपर लोक अभियोजक

आवेदक/अभियुक्त राहुल कुमार की ओर से अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत यह आवेदन, सूचक महेश कुमार के लिखित शिकायत के आधार पर पंजीबद्ध पकरीबरांवा थाना के अपराध क्रमांक 462/2025, धारा 310(2), 311, 317(3) बी0एन0एस0 से उदभूत अपराधिक प्रकरण मे आवेदक के गिरफ्तारी के आशंका के आधार पर उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधिकार पत्र व शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया गया है।

जमानत आवेदन की एक प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रदान करने संबंधी प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है।

उभय पक्ष का तर्क श्रवण किया गया।

अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि सूचक पकरीबरांवा थाना मे इस आशय की लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 19.11.2025 को समय करीब 07.50 बजे शाम को आस पास सूचक अपने गांव देवी बिगहा से देवी बिगहा रोड लाठी मोड़ के पास पहुंचा और टहल रहा था उसी समय दो मोटरसाईकिल पर छः व्यक्ति आये और सूचक को पकड़ लिया तथा सूचक के सिर पर पिस्टल के बट से मारा जिससे सूचक का सिर जख्मी हो गया और खुन बहने लगा। उसी मे से एक व्यक्ति सूचक के हाथ से वीवो कंपनी का मोबाईल जिसमें 9955267133 एवं 9155169566 नंबर का सिम लगा हुआ था जिसे छीन लिया और दोनो मोटरसाईकिल पर सवार होकर वारिसलीगंज की तरफ भाग गया। सूचक हल्ला किया तो गांव के लोग आये और उक्त मोटरसाईकिल का पीछा किया तो वे लोग वारिसलीगंज थाना अंतर्गत पटेल चौक के पास उस भागे छः व्यक्ति मे से एक व्यक्ति उक्त होण्डा साईन मोटरसाईकिल के साथ पकड़ा गया। पटेल चौक पर पता चला कि एक और व्यक्ति का सिर जख्मी कर उसका बैग छीन लिया जिसमें एक लैपटॉप, 21 हजार रूपये एवं कागजात थे। इसकी सूचना संबंधित थाना को दिया गया तथा पुलिस द्वारा पटेल चौक पर पहुंचकर पकड़ाये व्यक्ति से नाम पता पूछा तो वह अपना नाम दीपक कुमार बताया तथा भागे हुए व्यक्ति का नाम नवलेश कुमार, राजा कुमार, राहुल कुमार तथा अन्य दो व्यक्ति का नाम के बारे मे बताया कि उसका नाम नवलेश कुमार को पता है। उक्त पकड़ाये व्यक्ति का विधिवत तलाशी लिया गया तो उसके पास से सूचक का मोबाईल बरामद किया गया तथा अन्य व्यक्ति जितेन्द्र कुमार से छीने गये लैपटॉप एवं अन्य कागाजत बरामद किया गया एवं बिना निबंधन के एक होण्डा साईन मोटरसाईकिल बरामद किया गया तथा बरामद सामग्रियों को विधिवत जप्ती सूची तैयार कर पकड़ाये व्यक्ति को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में उल्लिखित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए तर्क किया गया है कि आवेदक पूर्व मे इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय मे किसी तरह का कोई जमानत आवेदन दाखिल नही किया है। आवेदक का यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है। उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध जो भी आरोप लगाया गया है वह गलत झूठा एवं मनगढंत है। आवेदक के

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, नवादा
उपस्थित– उमेश कुमार, ए0एस0जे0–तृतीय, नवादा
अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या – 875/26
82/26

राहुल कुमार — आवेदक

बनाम

बिहार राज्य — अभियोजन

पकरीबरावां थाना कांड संख्या– 462/2025
अंतर्गत धारा – 310(2), 311, 317(3) बी0एन0एस0
1. आवेदक की ओर से – विद्वान अधिवक्ता
11.05.2026 2. अभियोजन की ओर से – विद्वान अपर लोक अभियोजक

| | |
|---|---|
| लगातार | विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नही है। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानते हुए जमानत बंध पत्र दाखिल करने के लिए तैयार एवं रजामंद है।<br>उपरोक्त आधारों पर बल देते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।<br>दूसरी तरफ विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर इस अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।<br>सुना एवं जमानत आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज, विचारण न्यायालय की संचिका एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है तथा आवेदक पर धारा 310(2), 311, 317(3) बी0एन0एस0 के तहत अपराध दर्ज कराया गया है। घटना स्थल से पकड़ाये सह अभियुक्त दीपक कुमार से पुलिस द्वारा पूछताछ मे आवेदक का नाम आया है। इसी मामले मे पकड़ाये अन्य सह अभियुक्तों ने ओवदक सहित अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर इस कांड के अलावे एक अन्य कांड करने की बात को स्वीकार किया है। घटना स्थल से पकड़ाये सह अभियुक्त दीपक कुमार के पास से लूटे गये सामग्री भी बरामद हुआ है। इससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो रहा है कि आवेदक अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर लूटपाट की घटना को अंजाम देने मे संलिप्तता रही है। पूर्व मे इसी मामले के अन्य सह अभियुक्तों का नियमित जमानत एवं अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है। आवेदक का मामला भी समान आधार का है।<br>अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों, वर्तमान परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन एवं विचारण न्यायालय की संचिका तथा केस डायरी मे आए तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए आवेदक को इस मामले मे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।<br>परिणामस्वरूप आवेदक/अभियुक्त राहुल कुमार की ओर से प्रस्तुत इस अग्रिम जमानत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।<br><br>ह0/–<br>(उमेश कुमार)<br>अपर सत्र न्यायाधीष, तृतीय<br>नवादा |

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, नवादा

उपस्थित– उमेश कुमार, ए0एस0जे0–तृतीय, नवादा

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या – 875/26
82/26

राहुल कुमर — आवेदक

बनाम

बिहार राज्य — अभियोजन

पकरीबरावां थाना कांड संख्या– 462/2025

अंतर्गत धारा – 310(2), 311, 317(3) बी0एन0एस0

1. आवेदक की ओर से – विद्वान अधिवक्ता

11.05.2026

2. अभियोजन की ओर से – विद्वान अपर लोक अभियोजक